2024/40
15

ऑन लाईन नं.RCMS2024/40

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 22/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदारा राम (दूध विक्रेता)
वी–हाकमाबाद, तह. सादुलशहर से बारहमासी नहर के पास व बाईपास साधुवाला–नेतेवाला, श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6330 दिनांक 26.12.2022 है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2023 को समय 8.30 एएम बजे **सादुलशहर से बारहमासी नहर के पास व बाईपास साधुवाला–नेतेवाला, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे। मौके पर श्री **चेतनराम पुत्र श्री सरदारा राम** (दूध विकेता) मोटरसाइकिल पर दूध ले जा रहा था। दूध के बारे में जानकारी चाही, इस पर **चेतनराम पुत्र श्री सरदारा राम** ने एक कैन में लगभग 40 लीटर **गाय का दूध** होना व आमजन में बेचान वास्ते ले जाना बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनता के लिए विकय हेतु ले जा रहे एक कैन में से दूध को हिला मिलाकर एकरूप कर **गाय का दूध** 2 लीटर साफ सूथ्रे स्टील के बर्तन में विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 100/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विकेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध 02** लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2074** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2074** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1822/Act/2023/1822 Dated 09-11-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2074 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विक्रेता)** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि परिवाद की मद संख्या 1 जिस प्रकार से वर्णित है, स्वीकार नहीं है। परिवाद द्वारा अप्रार्थी को इस प्रकार का कोई आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न तो दिखाया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई। परिवाद की मद सं. 2 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवाद द्वारा अप्रार्थी को इस प्रकार का कोई आदेश न तो दिखाया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई। परिवाद की मद संख्या 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दूध का वितरण सुबह 10 बजे तक कर दिया जाता है, उसके बाद अप्रार्थी के पास दूध नहीं बचता है, परिवादी द्वारा दिनांक 31.10.2023 को समय 8.30 एएम पर सादुलशहर से 12 मासी नहर के पास, बाईपास नेतेवाला–साधूवाला श्रीगंगानगर मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया गया था, उस समय अप्रार्थी लोगों के घरों से दूध इकट्ठा करके ला रहा था। अप्रार्थी गावों से दूध क्रय करके लाता है और उसी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दूध में मिलावट नहीं की जाती और न ही परिवादी द्वारा फार्म नं. 5ए भरकर अप्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाए गए, बल्कि परिवादी द्वारा खाली कागजों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए थे तथा अप्रार्थी के सामने किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे। परिवाद की मद सं. 4 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त दूध विक्रय के लिए लोगों के घरों से इक्कटठा करके लाया गया था तथा परिवादी द्वारा उक्त दूध अप्रार्थी से खरीदा नहीं गया था। परिवाद की मद सं05 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, परिवादी द्वारा अप्रार्थी को फार्म नं. 5ए न तो पढकर सुनाया गया और ना ही उस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवाद की मद सं0 6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी के सामने दूध का सैंपल नहीं लिया गया था। परिवादी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई बल्कि अप्रार्थी पर झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाकर परिवाद पेश किया गया है। परिवाद की मद सं0 7 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा विधि अनुसाद व अधिनियम की पालना न करते हुए उक्त कार्यवाही की है, प्रार्थी जिस स्थिति में दूध क्रय करता है, उसी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी को डरा धमका कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। अप्रार्थी के सामने किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे। परिवाद की मद सं.8 में वर्णित कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवादी ने अप्रार्थी के सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही परिवादी द्वारा अप्रार्थी को कार्यवाही की कोई सूचना दी गई। परिवाद की मद सं0 9 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवाद की मद सं0 10 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी को दूसरी लैब से नमूने की जांच करवाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। परिवाद की मद सं. 11 वर्णित कथन कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवाद की मद सं. 12 वर्णित कथन कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। परिवाद की मद सं0 13 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी मिलावटी दूध का विक्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थी जिस स्थिति में गांवों से दूध क्रय करता है, उसकी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा आज तक कभी भी दूध में मिलावट नहीं की गई है। परिवादी द्वारा रंजिशवश उक्त कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध की गई है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवाद सव्यय खारिज फर्माया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-2074** जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1822/Act/2023/1822 Dated 09-11-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी मिलावटी दूध का विक्रय नहीं किया गया है। अप्रार्थी जिस स्थिति में गांवों से दूध क्रय करता है, उसकी स्थिति में दूध विक्रय कर देता है। अप्रार्थी द्वारा आज तक कभी भी दूध में मिलावट नहीं की गई है। परिवादी द्वारा रंजिशवश उक्त कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध की गई है। अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवाद सव्यय खारिज फर्माया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-2074, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform the standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विक्रेता)** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री चेतनराम पुत्र श्री सरदाराराम (दूध विक्रेता)** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये **15,000–00 (अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर